Poor Planning of Public Distribution System

540. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news items which appeared in the Indian Express (ND) of 23rd September, 1992 under the caption "Revamped PDS fails to deliver" wherein it has been stated that the Revamped Public Distribution System (RPDS) launched by the Prime Minister in January last has made little impact of it; and

(b) if so, the steps taken to make it more effected ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) and (b) Yes Sir. The report in Indian Express (ND) of 23rd September, 1992 highlighted achievements as well as shortcomings of the Revamped Public Distribution System, as implemented in Maharashtra. The article mentions that additional fair price shops have been opened in the RPDS areas of the State; that new godowns had started functioning; that village level Vigilance Committees were functioning and that Tehasildars had been visiting the villages to satisfy themselves about the improvements in the system. In an operation of such a vast magnitude as the PDS, shortcomings irregularities in a few places cannot be ruled out. Government of Maharashtra has reported that supplies are issued to fair price shops only after production of Panchnamas signed by the members of the Vigilance Committees or at least by the village Sarpanch or village Headman. Also steps are being taken to improve the viability of fair price shops.

Central Government has made an additional allocation of 14,000 tonnes of rice and wheat per month to Maharashtra for allocation to the RPDS areas with effect from 1st June, 1992 in addition to the normal allocations being made to these areas by the State Government.

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

541. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के समय से लेकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो चावल और गेहूं जैसे आवश्यक खाद्यान्नों की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इससे मूल्य सूचकांक किस सीमा तक प्रभावित हुआ है;

(ग) क्या सरकार कीमतों में निरन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रियायती दरों पर ये खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जून, 91 से मार्च, 92 की अवधि के दौरान खाद्यान्नों, दालों और खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि का रुख देखा गया। लेकिन चालू वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान इन वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता और कमी का रुख दिखाई पड़ा है। एक विवरण संलग्न किया गया है, जिसमें 22-6-91 और 7-11-92 के दौरान आवश्यक खाद्यान्नों के थोक मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत उतार-चढाव तथा उनका प्रभाव दर्शाया गया है **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पहले ही चावल, गेहूं, चीनी, मामूली तेल, मिट्टी का तेल और साफ्ट कोक लोगों को राजसहायता प्राप्त दरों पर, जो बाजार मूल्य से कम हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लक्षित लाभार्थी अधिकतर गरीब या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। 1-1-1992 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली

को संपुष्ट किया गया है, ताकि इसके लाभ दूरस्थ, दूर-दूर तक फैले, पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच सकें और इस प्रयोजन से विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में लगभग 1700 ब्लाकों का पता लगाया गया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले आबादी के अधिक गरीब वर्ग को देखते हुए इन क्षेत्रों को अत्यधिक राज-सहायता प्राप्त दरों पर वस्तुएं सप्लाई की जा रही हैं। सरकार ने इन अभिज्ञात ब्लाकों को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की लगभग 20 लाख मी. टन और मात्रा की आपूर्ति करने का भी निर्णय किया है। इसके अलावा, सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की रोक को नियंत्रित करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसके लिए समय-समय पर कई उपाय किए हैं। इन सभी उपायों के फलस्वरूप देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और उनकी उपलब्धता अब उचित स्तर पर है।

विवरण

चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत उतार-चढ़ाव तथा 22-6-91 व 27-3-92 और 28-3-92 व 7-11-92 तथा 10-10-92 व 26-11-92 के बीच सामान्य सूचकांकों पर उनका प्रभाव (कोष्टकों में दर्शित)

वस्तु	थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार-चढ़ाव तथा उनका प्रभाव		
	28-3-92	7-11-92	7-11-92
	22-6-91	28-3-92	10-10-92
खाद्य सामग्री	+25.6	-1.4	-1.4
	(+21.1)	(-2.0)	(-15.0)
अनाज	+30.2	-1.4	-1.2
	(+20.6)	(-1.4)	(-10.6)
चावल	+25.6	+3.3	-0.7
	(+9.9)	(+2.2)	(-3.9)
गेहूं	+32.3	-4.1	-0.5
	(+6.8)	(-1.9)	(-1.5)
दालें	+3.7	-1.6	-2.7
	(+0.5)	(-0.3)	(-4.3)
चना	-2.8	+7.4	+0.3
	(-0.1)	(+0.4)	(+0.1)
अरहर	+3.7	-5.0	-1.2
	(+0.2)	(-0.3)	(-0.6)
उड़द	+2.2	-3.4	-6.2
	(+0.1)	(+0.1)	(-1.7)
खाद्य तेल	+4.9	-5.2	-5.9
	(+1.9)	(-2.5)	(-21.7)
वनस्पति	-0.2	+0.6	-1.0
	(नगण्य)	(+0.1)	(-0.8)
सरसों का तेल	+4.0	+4.0	-1.5
	(+0.1)	(+0.2)	(+0.5)
मूंगफली का तेल	-10.4	+4.5	-0.8
	(-0.8)	(+0.4)	(-0.6)
समस्त वस्तुएं	+9.3	+6.3	+0.8
	(+100.0)	(+100.0)	(+100.0)